न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

........सुरजाराम........ बनाम ....जगपत आदि........

किस्म मुकदमा ....225 RTA........ मु. नं0 ....105........ वर्ष 2018........

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20-11-18	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया है। स्थगन आदेश के उपरान्त 28 तारिख पेशीयां एवं लगभग 7 माह का समय अप्रार्थीगण की तलबी में व्यतीत हो गया। परन्तु आज दिनांक तक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण नही हुआ है। अतः आदेश 39 नियम 3क की अनुपालना में इस आदेश की कियान्विति स्थगित की जाये। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विचारण न्यायालय की सम्पूर्ण आदेशिका का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.04.2018 को एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया है जिसके उपरान्त तलबी में 28 तारिख पेशीयां दी गई है एवं 7 माह का समय तलबी में लगा है। ऐसी स्थिति में आदेश 39 नियम 3क सी.पी.सी. की पालनार्थ प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 34/2018 उनवान जगपत आदि बनाम सुरजाराम आदि बाबत भूमि खसरा नम्बर 204 ग्राम लाडपुर पंचायत मं. धींगपुर तहसील दांतारामगढ़ में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10.04.2018 की कियान्विति स्थगित की जाकर पत्रावली विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि उनके न्यायालय में यह आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.12.2018 को उपस्थित होवें। अहलमद को निर्देशित किया है कि 14.12.2018 से पूर्व इस आदेश की सत्यप्रति पत्र के साथ विचारण न्यायलय को आवश्यक रूप से भिजवाये। निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया। 20/xi/18 (केसर सिंह पूनियां) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर	

Web Copy - Not Official